

श्रीमति सुधाबाई पति श्री देवीसिंह रघुवंशी, पुत्री-  
स्व. सागरलाल रघुवंशी, निवासी-ग्राम पिपलियाँ-  
कलों, तहसील-स्विनी मालवा, जिला-होशंगाबाद -----आवेदिका

विरुद्ध

1. श्रीमति सुशीलाबाई विधवा स्व. सागरलाल रघुवंशी, निवासी-ग्राम कांखेडी, तहसील-स्विनी मालवा, जिला-होशंगाबाद
2. गंभीरसिंह पिता स्व. सागरलाल रघुवंशी, निवासी-ग्राम कांखेडी, तहसील-स्विनी मालवा, जिला-होशंगाबाद
3. श्रीमति शोभाबाई पति राजेश कुमार रघुवंशी, पुत्री-स्व. सागरलाल रघुवंशी, निवासी-रसूलिया कालोनी, होशंगाबाद, तह0 व जिला-होशंगाबाद -----अनावेदकगण

पुनरीक्षण या चिका अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता।

आवेदिका यह पुनरीक्षण या चिका माननीय आयुक्त महोदय नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद द्वारा राजस्व अपील प्रकरण क्रमांक 85/अ वर्ष 11-12 ग्राम बाबडिया बापू, तहसील-स्विनी मालवा, जिला- होशंगाबाद में पारित आदेश

दिनांक 17/4/2014 से असंतुष्ट होकर नीचे लिखे अनुसार प्रस्तुत है।

श्री डी. एस. गुर्जर  
सिभाषक झाराज  
क्रमांक 30-10-14 को  
जाल बैम्प प्रस्तुत  
30-10-14

R. 3695-18/14

हेडक्वार्टर

मुंबई / मुंबई

29/1/15

आवेदक अभिभाषक सूचना  
उपरोक्त अनुपस्थित। अनावेदक द्वारा  
श्री के. के. यदुवेशी अभिभाषक उपस्थित।  
आवेदक अभिभाषक को तीन बार पुकार  
लगावाची गयी। कोई उपस्थित नहीं।  
आवेदक अभिभाषक की अनुपस्थिति में  
प्रकाश अक्षय पंरवी में खारिज किया  
जाता है।

अक्षय

अक्षय

Kumar